न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 17 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला—बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री चतुर्भज पुत्र औकार कौम कण्डारा तहसील—बारां (अप्रार्थी)
जिला—बारां (राज.)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज.)

आदेश दिनांक— 10.02.2021

1— प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी श्री चतुर्भज पुत्र औकार कण्डारा को आराजी ख0नं0 159 रकबा 0.07 है0 किस्म नहरी II आवंटित हुई है। आवंटन से पूर्व सेटलमेंट जमाबन्दी 2015—2024 के अनुसार उक्त आराजी के साबिक ख0नं0 मि. 100 रकबा 7 बीघा किस्म गै.मु.तलाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसप्रकार अप्रार्थी चतुर्भज पुत्र औकार कण्डारा को मूल रूप से तलाई की भूमि आवंटित हुई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा—16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन / नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त आवंटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार भूमि को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन / नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से दिनांक 16.07.2015 को अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी की ओर से दिनांक 25.05.2017 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि नोटिस खिलाफ कानून है। ग्राम बैगना तह. बारां की आराजी ख0न0 159 रकबा 0.07 है0 वर्तमान में किस्म माल द्वितीय है तथा काश्त हो रहीं है। वादगस्त भूमि पर पिछले 30 वर्षो से भी अधिक समय से खेती की जा रहीं है। वर्तमान में किस्म तलाई नहीं है। नोटिस पूर्णतया मिथ्या व गलत है। अतः नोटिस मंसूख होने योग्य नहीं हैं। रेफरेंस की कार्यवाहीं ड्रोप फरमायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी के ग्राम बैगना में ख0नं0 159 रकबा 0.07 हे0 किस्म माल II खाते दर्ज है। उक्त आराजी की सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जो सेटलमेट जमाबन्दी सम्वत् 2015—24 से स्पष्ट है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को ग्राम बैंगना तहसील—बारां में आराजी ख0नं0 159 रकबा 0.07 है0 आवंटित हुई थी। जिस वक्त अप्रार्थी को भूमि आवंटित हुयी थी उक्त आराजी की किस्म माल II दर्ज थी, जो जमाबन्दी 2038—2057 में किस्म माल II दर्ज है। वर्तमान में भी उक्त आराजी की किस्म माल II दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थी लगभग 30 वर्षों से काबिज काश्त है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है। साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त आराजी पर लगातार काबिज काश्त है, इस आराजी की किस्म कभी भी तलाई नहीं रही है। तहसीलदार, बारां को रेफरेंस प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः रेफरेंस तहसीलदार, बारां खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

7— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि

जिला कलक्टर

अप्रार्थी चतर्भुज पुत्र औकार कण्डारा, बैगना को ग्राम बैगना में आराजी खं0नं0 159 रकबा 0.07 है0 भूमि आवंटित हुयी थी, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आवंटित आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर मिन 100 रकबा 7 बीघा है जो मिलान क्षैत्रफल व सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 से स्पष्ट है। तत्समय विवादित आराजी की किस्म तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को तलाई की भूमि आवंटित की गयी थी। इस प्रकार अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है।

8– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को ग्राम बैगना तहसील–बारां की आवंटित आराजी खं0नं0 159 रकबा 0.07 है, जिसके सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर मि 100 रकबा 7 बीघा है। जिसमें से अप्रार्थी को 0.07 है0 आवंटित हुयी है। आवंटित आराजी की किस्म तलाई होने से तत्समय उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं थी। विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी के खाते दर्ज है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्ध मानते हुए, निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी श्री चतुर्भज पुत्र औकार जाति–कण्डारा सा.देह बैगना को विवादित आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 0.07 है0 किस्म माल द्वितीय जो सेटलमेट पूर्व साबिक खसरा नम्बर मि. 100 रकबा 7 बीघा किस्म तलाई है, का गलत रूप से आवंटन हुआ है। उक्त आवंटन निरस्त किये जाने व आराजी राजस्व रेकार्ड में पूर्ववत तलाई दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार, बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनशिचित करे।

10– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी ख0नं0 159 रकबा [illegible] अप्रार्थी चतुर्भज पुत्र औकार कण्डारा के खाते में दर्ज है। जमाबन्दी [illegible] रेफरेंन्स दर्ज होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड [illegible] किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राज[illegible]य होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 0.07 है0 ग्राम बैगना तहसी[illegible]–बारा की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 10.02.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)